



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112020-223238
CG-DL-E-21112020-223238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3670]
No. 3670]

नई दिल्ली शुक्रवार, नवम्बर 20, 2020/कार्तिक 29, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

का.आ. 4172(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में 24" व्यास गैस, 18" व्यास ऑयल/गैस, 8" व्यास एवं 4" व्यास पानी की पाइपलाइन कॅम्बे बेसिन CB-OS/2 ब्लॉक से ऑनशोर टर्मिनल साइट सुवाली गाँव तक क्रूड ऑयल / नेचुरल गैस एवं पानी के स्थानान्तरण के लिए वेदांता लिमिटेड (केयर्न ऑइल और गैस), ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) और टाटा पेट्रोडॉइन् लिमिटेड (टीपीएल) की ओर से वेदांता लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के अधिकार के अर्जन के लिये सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओ.एन.जी.सी. परिसर, अंकलेष्वर परिसंपत्ति, अंकलेष्वर — 393010 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा।

**24" व्यास गैस, 18" व्यास ऑयल/गैस, 8" व्यास एवं 4" व्यास पानी की पाइपलाइन कॅम्बे बेसिन
CB-OS/2 ब्लॉक से ऑनशोर टर्मिनल**

गाँवों की सूची

नं.	गांव	तालुका	जिला	राज्य
1	सुवाली	चोरयासी	सूरत	गुजरात
2	शिवरामपूर	चोरयासी	सूरत	गुजरात

अनुसूची

**24" व्यास गैस, 18" व्यास ऑयल/गैस, 8" व्यास एवं 4" व्यास पानी को पाइपलाइन कॅम्बे
बेसिन CB-OS/2 ब्लॉक से ऑनशोर टर्मिनल**

गांव का नाम	नया सर्वे नं.	पुराना सर्वे नं. (गाँव)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
तालुका : चोरयासी जिला : सूरत राज्य : गुजरात					
	अंतर्ज्वारिय क्षेत्र	अंतर्ज्वारिय क्षेत्र	02	08	50
शिवरामपूर	5/22/6	76/22/6 (सुवाली)	00	24	40
	5/3	76/अ/1/1पै27 (सुवाली)	00	35	70
	5/1	76/अ/1/1/अ (सुवाली)	00	55	31
	2	68 (सुवाली)	00	23	90
	1	67 (सुवाली)	00	33	30
सुवाली	70	70 (सुवाली)	00	38	20
	63	63 (सुवाली)	00	27	93
	61/3	61/3 (सुवाली)	00	07	40
	61/2+62/2	61/2+62/2 (सुवाली)	00	13	00
	सुवाली जुनागाम रस्ता	सुवाली जुनागाम रस्ता	00	02	20
	498/2 (232)	498/2 (232) (सुवाली)	00	89	00
	498/1 (232)	498/1 (232) (सुवाली)	00	60	09

[फा. सं. Expl-11032(11)/32/2020-Expl-I-PNG]

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2020

S.O. 4172(E).—WHEREAS, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Crude / Gas & Water from 24"Ø Gas 18"Ø Crude / Gas, 8"Ø & 4"Ø Water Pipeline from CB-OS/2 Block of Cambay Basin to Onshore Terminal site near Suvali village in the State of Gujarat by Vedanta Limited – Cairn Oil & Gas on behalf of Joint Venture (JV) consortium of Vedanta Limited - Cairn Oil & Gas, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and Tata Petrodyne Ltd. (TPL).

AND WHEREAS, it appears that for the purpose of laying the said pipeline it is necessary to acquire that Right of User in the land described in the schedule annexed hereto:

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein

PROVIDED THAT ANY person interested in the said land, may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd. Shed No. 32, ONGC CAMPUS, ANKLESHWAR ASSET, ANKLESHWAR – 390010 (GUJARAT).

AND every person making such objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

**24"Ø GAS, 18"Ø CRUDE / GAS, 8"Ø & 4"Ø WATER PIPELINE FROM CB-OS/2 BLOCK OF
CAMBAY BASIN TO ONSHORE TERMINAL**

LIST OF VILLAGES FALLING ON THE ROUTE OF PIPELINE

Sr. No.	Village	Taluka	District
1	Suvali	Choryasi	Surat
2	Shivrampur	Choryasi	Surat

SCHEDULE

**24"Ø GAS, 18"Ø CRUDE / GAS, 8"Ø & 4"Ø WATER PIPELINE FROM CB-OS/2 BLOCK OF
CAMBAY BASIN TO ONSHORE TERMINAL**

TA : CHORYASI	DISTRICT : SURAT			STATE : GUJARAT		
Name of Village	Survey No. / Block No.	Old Survey No. (Village)	Part if any	Area		
1	2	3	4	Ha.	Are	Sq. m.
	Inter Tidal Zone	Inter Tidal Zone (Suvali)		02	08	50
SHIVRAMPUR	5/22/6	76/22/6 (Suvali)		00	24	40
	5/3	76/A/1/1 P 27 (Suvali)		00	35	70
	5/1	76/A/1/1/A (Suvali)		00	55	31
	2	68 (Suvali)		00	23	90
	1	67 (Suvali)		00	33	30
SUVALI	70	70 (Suvali)		00	38	20
	63	63 (Suvali)		00	27	93
	61/3	61/3 (Suvali)		00	07	40
	61/2 + 62/2	61/2 + 62/2 (Suvali)		00	13	00

	Suvali - Junagam Road	Suvali - Junagam Road		00	02	20
	498/2 (232)	498 (232) : Suvali		00	89	00
	498/1 (232)	498 (232) : Suvali		00	60	09

[F. No. Expl-11032(11)/32/2020-Expl-I-PNG]

KULDEEP KUMAR, Under Secy.